M-23

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण कमांक /2017–18

म निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा/2017/4996

455

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक : पुरूषोत्तम श्रीवास्तव आत्मज श्री शिवदयाल श्रीवास्तव, निवासी– पारस विहार कालोनी नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

गैर–पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण कमांक– 207/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 44/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 एवं विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक–49/ बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2010 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता पारस विहार कालोनी नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) का स्थायी निवासी है ।

2. यह कि, मौजा बरपानी, नं.बं. 373, प.ह.नं. 28, तह. व

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2017/4996 **जिला** – नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 207/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण अवैध उत्खनन का है। आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा खनिज निरीक्षक एवं पटवारी के कथनों के आधार पर अवैध उत्खनन प्रमाणित माना है। इसलिए पुष्टि कलेक्टर ने की है। आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित होने के कारण आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय को स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया गया है इस प्रकार इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालय के तथ्यों के संबंध में समवर्ती निर्णय हैं जिनमें हस्तक्षेप का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	